REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-15042025-262455 CG-DL-E-15042025-262455

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.1685]नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 15, 2025/चैत्र 25, 1947No.1685]NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 15, 2025/CHAITRA 25, 1947

श्रम और रोजगार मंत्रलाय अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2025

का.आ. 1716(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 1 मई, 2025 को, उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के निमंलिखित उपबंध नागालैंड राज्य के दीमापुर, कोहिमा, मोकोकचुंग, चूमूकेडिमा, निउलेंड, त्सेमिन्यू, वोखा और जुन्हेबोटो जिले के सभी क्षेत्रों में प्रवृत होंगे, अर्थात्:—

- (i) धारा 38 से धारा 43 तक;
- (ii) धारा ४५क से धारा ४५ज तक;
- (iii) धारा ४६ से धारा ७३ तक;
- (iv) धारा 74 और धारा 75;
- (v) धारा 76 की उपधारा (2) से उपधारा (4) तक,
- (vi) धारा 82 और धारा 83

[फा. सं. एस–38013/06/2023–एसएस-I]

डॉ. महेंद्र कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April, 2025

S.O. 1716(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st day of May, 2025, as the date on which the following provisions of the said Act, shall come into force in all the areas of the district of Dimapur, Kohima, Mokokchung, Chumukedima, Niuland, Tseminyu, Wokha and Zunheboto in the State of Nagaland, namely:-

- (i) sections 38 to 43;
- (ii) sections 45A to 45H;
- (iii) sections 46 to 73;
- (iv) sections 74 and 75;
- (v) sub-section (2) to (4) of section 76; and
- (vi) sections 82 and 83.

[F. No. S-38013/06/2023-SS-I] Dr. MAHENDRA KUMAR, Jt. Secy.